भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 577

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयला परिवहन और आपूर्ति में बाधाएं

577. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला परिवहन में रसद संबंधी बाधाएं आपूर्ति को प्रभावित कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा कोयले के परिवहन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय कोयला बाजारों में कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण आयात में कमी आई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के सम्मिश्रण के निर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सभी राज्यों में अनुपालन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या कोयला आपूर्ति में हुए बदलावों के कारण बिजली की दरों पर असर पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या कोयला आधारित बिजली उत्पादन के विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत जोड़ी गई अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस ऊर्जा संक्रमण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): कोयला परिवहन में संभार-तंत्र संबंधी बाधाएं कुछ कोयला क्षेत्रों में विशेष रूप से रेल निकासी क्षमता, रेक उपलब्धता और कनेक्टिविटी के संबंध में कोयले की आवाजाही को प्रभावित करती हैं। प्रमुख बाधाओं में रेलवे रेक की सीमित उपलब्धता, कुछ रेल गलियारों पर क्षमता का

अत्यंत इस्तेमाल हो जाना, वैगन के टर्नअराउंड में ज्यादा समय लगना, उच्च क्षमता वाले वैगनों की कमी और रेल अवसंरचना के विकास में देरी होना शामिल है। कुछ परियोजनाओं में, स्थानीय मुद्दे, मानसून में व्यवधान और समर्पित रेल संपर्क की कमी भी निकासी को प्रभावित करती है।

कोयले की आवाजाही में सुधार करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने रेल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए 33 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है। कोयला पीएसयू के माध्यम से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) अवसंरचना का विस्तार किया गया है। रेल, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने का भी काम शुरू किया गया है।

(ख): सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने और कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए निम्नानुसार नीतिगत पहलें की हैं -

i. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को ऐसे मामलों में मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था या जहां इसे मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा कोयला लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत खरीद करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा किया जा सके, चाहे ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तर कुछ भी हो।

iv. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करते हुए इस्पात' बनाया गया है।

v. कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है।

vi. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

vii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले का 100% खरीदने के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

viii. धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के तहत कोलसेतु विंडो के नाम से एक नई विंडो बनाई गई है।

(ग): कोयले का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन है और विद्युत संयंत्र अपनी कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार के साथ, विद्युत मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2024 के बाद आयातित कोयले के सम्मिश्रण के लिए अपनी एडवाइजरी बंद कर दी है।

(घ): ताप विद्युत संयंत्र की ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) मुख्य रूप से कोयले के मूल्य और कोयला खान से विद्युत संयंत्र तक संबंधित परिवहन लागत पर निर्भर करती है। सरकार ने विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

i. सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए दिनांक 04.05.2016 को विद्युत उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

ii. कोयला मंत्रालय समय-समय पर विद्युत संयंत्रों में कोयले की उतराई लागत को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों के कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाता है।

(ड.): भारत ने लक्ष्य से पांच वर्ष पहले वर्ष 2025 में ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% हासिल कर लिया है। दिनांक 30.06.2026 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन की संस्थापित क्षमता 297.37 गीगावॉट है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून-2026 तक) के अखिल भारतीय आरई क्षमता वृद्धि (बड़े हाइड्रो सहित) का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	**अखिल भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि (बड़े हाइड्रो सहित) मेगावाट में**
2023-24	18,545
2024-25	29,524
2025-26	54,525
2026-27(जून-26 तक)	13,901
